न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 27/2021
जी.सी.एम.एस. : 2021/120

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
भंवरसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली		1. भारत संचार निगम लिमिटेड जरिये महाप्रबंधक दूरसंचार पाली जिला पाली 2. उप तहसीलदार बगड़ी तहसील सोजत जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र नारायण औझा।

–: निर्णय :–

दिनांक 19.3.2024

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार बगड़ी के प्रकरण संख्या 1131/2020 सरकार बनाम भारत संचार निगम लिमिटेड अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2021 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट वक्त बहस अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलाण्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील आदेश जो कि उप तहसीलदार बगडी ने पारित किया है जिसमें अपीलाण्ट को पक्षकार बनाये बगैर ही जैर अपील आदेश पारित कर दिया जबकि जैर अपील आराजी अपीलाण्ट की खरीदशुदा कब्जाशुदा आराजी है जिस पर दुरसंचार विभाग से अनुबंध के आधार पर टॉवर लगाया गया है। जैर अपील आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा जिसे अपीलार्थी ने दिनांक 28.03.2016 को चांद कंवर पत्नी शंभुसिंह से जरीये बैचान खरीद की थी, जिसका उपयोग उपभोग अपीलाण्ट कर रहा है। ग्राम साण्डिया की आबादी भुमि के पास ही खसरा नम्बर 1015 जिसके नये खसरा नम्बर 1015/1 रकबा 0.0400 हैक्टेयर किस्म गै.मु.बाडा जिसका अपीलाण्ट के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया हुआ है। जिसमें से मात्र 500 वर्गफुट जमीन पर बी.एस.एन.एल. विभाग द्वारा टॉवर लगाया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 0.0200 हैक्टेयर लगभग 2178 वर्गफुट का अतिक्रमण मानकर बी.एस.एन.एल विभाग को नोटिस जारी कर दिया। जबकि उक्त आराजी अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है जैर अपील आदेश पारित करते से अपीलाण्ट को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित करना चाहिये था लेकिन जैर अपील आदेश पारित करते समय ऐसा नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी.के तहत पेश किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रकरण संख्या 745/2019 में खसरा नम्बर 1010 पर टॉवर के संबध में अतिक्रमण

अति. जिला कलक्टर, पाली

मानकर 91 एल.आर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये नोटिस जारी कर आदेश पारित किया। जिसके संबध में श्रीमान के समक्ष अपील की गई जिसे स्वीकार कर अपीलाण्ट को पक्षकार बनाने के आदेश पारित किये। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में कार्यवाही करने के बजाय जैर अपील प्रकरण दर्ज कर दिया जिसमें भी अप्रार्थी को पक्षकार संयोजित नही किया एवं अपीलाण्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने के अवसर दिये बिना ही आदेश पारित कर दिया। अतः जैर अपील आदेश खारिज फरमावें। पटवारी हल्का साण्डिया ने ग्राम साण्डिया के खसरा नम्बर 924 रकबा 0.0200 हैक्टेयर किस्म गै. मु.नदी पर टावर लगाकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अतिक्रमण किया जाना बाबते टी.पी. रिपोर्ट तहसीलदार सोजत के समक्ष पेश की। जिस पर उप तहसीलदार बगड़ी ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए, दिनांक 25.05.2021 को अतिक्रमी आराजी से भौतिक रूप से बेदखली के साथ 50/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जैर अपील आराजी को अपीलाण्ट ने श्रीमती चांदकंवर से जरिये रजिस्टर्ड बेचाण के क्रय किया है, जिस पर अपीलाण्ट का कब्जा है एवं वह उसका उपयोग–उपभोग कर रहा है। अपीलाण्ट जैर अपील प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था, जो मातहत अदालत द्वारा उसे नहीं बनाया गया। मातहत अदालत द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। अतः जैर अपील आदेश काबिल निरस्त है। जैर अपील आराजी पर अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को टावर लगाने हेतु अनुबन्ध किया है, उक्त अनुबंध के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 जैर अपील आराजी पर काबिज है। भारत संचार निगर लिमिटेड द्वारा टावर सरकारी भूमि पर नहीं लगाया गया है, बल्कि अपीलाण्ट की खरीदसुदा भूमि पर स्थापित किया गया है। मातहत अदालत द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व भूमि के मालिक को पक्षकार संयोजित करते हुए, सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश निरस्त फरमाया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की सुनी गई एक पक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मातहत अदालत की पत्रावली के संलग्न रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है जैर अपील आदेश ग्राम सांण्डिया के खसरा नम्बर 924 रकबा 0.02 जिसकी किस्म गैर मुमकिन नदी है जिस पर बी.एस.एन.एल. विभाग का टॉवर लगा हुआ है जिसके संबध में बी.एस.एन.एल. विभाग को 23.10.2020 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी कर अपना जवाब पेश करने का अवसर दिया गया।

अपीलाण्ट ने उक्त आराजी श्रीमती चांदकवर से जरिये रजिस्टर्ड बेचाण के क्रय की है, जिसमें अपीलाण्ट द्वारा खसरा नम्बर 1015/1 रकबा 0.0400 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बाडा की भूमि का अंकन है, जबकि पूर्व में मातहत अदालत द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को ग्राम साण्डिया के खसरा नम्बर 1010 पर अतिक्रमण किया जाने से प्रकरण दर्ज किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। दोनों ही तथ्य आपस में विरोधाभाषी है जब अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 में अनुबन्ध हुआ, तो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा टावर भी अपीलाण्ट की भूमि पर ही स्थापित किया जाना चाहिए तथा अपीलाण्ट की भूमि पर स्थित टावर की आराजी अतिक्रमण की श्रेणी में आती है तो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के साथ

अति. जिला कलक्टर, पाली

अपीलाण्ट भी आवश्यक पक्षकार की श्रेणी में आता है, लेकिन मातहत अदालत द्वारा मात्र भारत संचार निगम लिमिटेड को ही पक्षकार बनाया है, जबकि कम्पनी द्वारा जिस व्यक्ति की आराजी के संबंध में अनुबन्ध किया गया है, उसको पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। विधिनुसार किसी आराजी के संबंध में कोई भी निर्णय पारित किए जाने से पहले सभी प्रभावित पक्षकारों को सुनना आज्ञापक है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 1131/2020 में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2021 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण उप तहसीलदार बगड़ी को इस निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलाण्ट को दिनांक 19.04.2024 को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए दस्तावेजो की जांच कर विधि सम्मत निर्णय करे। अपीलाण्ट दिनांक 19.04.2024 को उप तहसीलदार बगडी के समक्ष आवश्यकरूप से अपना पक्ष रखते हेतु उपस्थित रहे। उप तहसीलदार बगड़ी को निर्णय की प्रति के साथ उनकी मूल पत्रावली पालनार्थ भिजवाई जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 19/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली